नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी./1–ए–वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

पत्रांक: 568 /व.वा./वृक्षारोपण/2022–23 दिनांक 01 जुलाई, 2022

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र, विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान, 2022–23 में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत पौध रोपण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–706/आठ–1–22–34बैठक/2017टी.सी. दिनांक 22 जून, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–216(2)/81–5–2022, दिनांक 31.05.2022, मा0 वनमंत्री एवं अन्य मा0 मंत्रिगण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संख्या–210/81–05–2022, दिनांक 03.06.2022 तथा वर्ष 2022–23 में 35 करोड़ पौध रोपण कराये जाने विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–228/81–5–2022, दिनांक 04.06.2022 (छायाप्रतियॉ मय संलग्नक) संलग्न करते हुए उक्त पत्रों में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि वर्ष 2022–23 में वृक्षारोपण हेतु आपको निर्धारित लक्ष्य एवं लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के आलोक में तथा सम्बन्धित पत्रों दिनांक 31.05.2022, 03.06.2022 एवं 04.06.2022 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 02.07.2022 के अपरान्ह तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

01/07/2022

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ.प्र. शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

संख्या–706/आठ–1–22–34बैठक/2017टी0सी0

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक: 22 जून, 2022**

विषयः– प्रदेश में वर्ष 2022–23 में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत पौधरोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 01 जुलाई से 15 अगस्त तक की अवधि में वृक्षारोपण तथा प्रत्येक ग्राम सभा में 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 वृक्ष अवश्य लगाये जाने सम्बन्धी, मा0 राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–216(2)/81–5–2022, दिनांक 31.05.2022, वृक्षारोपण जन आन्दोलन, 2022 के सफल सम्पादन हेतु दिनांक 24, 25 तथा 26 मई, 2022 को मा0 वनमंत्री एवं अन्य मा0 मंत्रिगण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संख्या–210/81–05–2022, दिनांक 03.06.2022 तथा वर्ष 2022–23 में 35 करोड़ पौधरोपण कराये जाने विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–228/81–5–2022, दिनांक 04.06.2022(छायाप्रतियॉ मयसंलग्नक संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में वर्ष 2022–23 में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत पौधरोपण कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त पत्रों दिनांक 31.05.2022, 03.06.2022 एवं 04.06.2022 में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही कराने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
22.6.2022
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव

Pc/E/Shyam /G.O. 22

706/आवास-1-2022

(2)

संख्या—228/81—5—2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

5467/PS H/22
DS(ARD)
आवास-1

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग: 5 दिनांक : 04 जून, 2022

विषयः प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में 35 करोड़ पौधारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय के सम्बंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या—881/81—5—2019—03/2019, दिनांक 21.11.2019 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में 35.00 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत 14.00 करोड़ पौधारोपण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तथा 21.00 करोड़ पौधारोपण अन्य 25 विभागों द्वारा किया जाना है। प्रायः यह देखा गया है कि पौधारोपण के उपरान्त समुचित सिंचाई व सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण पौधों की जीवितता प्रभावित होती है। मा0 मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि पौधारोपण के पश्चात् उनकी सुरक्षा एवं जीवितता सुनिश्चित की जाय। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा—15 द्वारा ग्राम पंचायत हेतु विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, जिसके मद संख्या—(VI) के अनुसार निम्नवत् कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं :

(अ) मार्ग के किनारे एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण एवं वृक्षों का संरक्षण।
(ब) सामाजिक वानिकी एवं रेशम उद्योग को विकसित कर प्रचारित करना।

13.6.2022

2: उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने एवं पौधारोपण में मानक जीवितता प्रतिशत बनाये रखने हेतु निम्न निर्देशों का विशेष रूप से पालन किया जाय :

(1) ग्राम प्रधानों द्वारा ग्राम सभा के अन्तर्गत कराये गये पौधारोपण की शासनादेश संख्या—554/चौदह—5—2003—15(10)/93, दिनांक 10.07.2003 **(छायाप्रति संलग्नक:1)** के दृष्टिगत विभागीय मानक के अनुसार जीवितता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाय।

13/6/2022

R-GO-2022

(2) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासनादेश संख्या–2464/14–5–2015 –123/2015, दिनांक 20.10.2015 **(छायाप्रति संलग्नक :2)**, जिसमें अन्य विभागों को आवंटित बजट का 0.5 प्रतिशत धनराशि वृक्षारोपण तथा उसकी सुरक्षा एवं रख–रखाव हेतु व्यय किये जाने के निर्देश हैं, का अनुपालन किया जाय।

(3) समस्त राजकीय विभागों द्वारा सभी वृक्षारोपण स्थलों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जाय।

(4) जनपद में प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थानों के अतिरिक्त धार्मिक स्थलों एवं श्मशान घाट/कब्रिस्तान में रिक्त पड़ी भूमि पर भी जनसामान्य को जोड़ते हुए पौधारोपण कराया जाय।

3: कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

पत्रांक : 228(1)/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/राजस्व/आवास/औद्योगिक विकास /नगर विकास/लोक निर्माण/जलशक्ति/रेशम/कृषि/पुशपालन/सहकारिता/उद्योग/ ऊर्जा/माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/श्रम/स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/परिवहन/रेलवे/रक्षा/उद्यान को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।
5. समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

4

संख्या-554/चौदह-5-2003-15(1)/03

प्रेषक,

अमन लाल,
प्रमुख सचिव, वन
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0।

2- अपर प्रमुख वन संरक्षक,
प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ।

3- समस्त मुख्य वन संरक्षक,
उ0प्र0।

4- समस्त वन संरक्षक,
उ0प्र0।

5- समस्त उप वन संरक्षक,
उ0प्र0।

6- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/
प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।

वन अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2003

विषय:- वृक्षारोपण से संबंधित मानकों का निर्धारण।

महोदय,

वृक्षारोपण कार्यों से सम्बन्धित कतिपय मानकों का निर्धारण शासनादेश संख्या-98/14-प0मु0वि0/94, दिनांक 7.1.1994 द्वारा किया गया था। समय-समय पर शासनादेश में उल्लिखित कई मानकों के संशोधन हेतु प्रमुख वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव भेजे गये। सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के कतिपय मानकों को तकनीकी आधार पर संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आगामी वर्ष से वृक्षारोपण कार्य कराये जाने हेतु निम्न मानकों का निर्धारण किया जाता है :-

वृक्षारोपण दायित्व

(1)- वर्षा को ध्यान में रखते हुए रोपण कार्य सामान्यतया 31 जुलाई तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

(2)- वृक्षारोपण कार्य अनिवार्यतः रोपावली प्रभारी या उससे उच्च स्तर के कर्मचारी की उपस्थिति में ही किया जाये।

(3)- सामान्यतया वृक्षारोपण की सफलता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-2292/14-प0मु0वि0/2001-15(1)/96, दिनांक 22.1.2002 जारी किया जा चुका है। इस शासनादेश की तालिका का शीर्षक परिवर्तित कर "वृक्षारोपण के कार्यों के सम्पादन हेतु उत्तरदायित्व तालिका" किया जाता है। अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा भी अपनी भूमिका ठीक तरह से निभा ली गयी है।

2/-

(4)- अपने क्षेत्र के रोपित पौधों की सुरक्षा व्यवस्था के लिये सम्बन्धित वन रक्षक जिम्मेदार होंगे। अपने स्थानान्तरण पर जाते समय वे लिखित सूचना द्वारा सफलता बताते हुए वृक्षारोपण नये वन रक्षक को हस्तान्तरित करेंगे। यदि किसी रोपणी की सफलता निर्धारित मानक से कम होती है तो उसकी जाँच प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक करेंगे तथा क्षति के उत्तरदायित्व के लिये जिम्मेदारी का निर्धारण करेंगे। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने इस दायित्व का निर्वहन न किये जाने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक उनका भी दायित्व निर्धारित करेंगे।

पौधों की ऊँचाई

(1)- रोपण के समय पौधों की न्यूनतम ऊँचाई तालिका-1 के अनुसार होगी।

क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) रोपण

(1)- वृक्षारोपण की अगली बरसात में मृत पौधों के स्थान पर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक पौध लगाकर बीटिंग अप कार्य किया जायेगा।

(2)- बीटिंग अप के सफल होने का पूर्ण दायित्व वन क्षेत्राधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक का होगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि बीटिंग अप में व्यय होने वाली धनराशि का दुरुपयोग न हो। बीटिंग अप में प्रयुक्त पौधों की ऊँचाई बीटिंग अप किए जाने के समय वृक्षारोपण की औसत ऊँचाई से कम नहीं होनी चाहिए। बीटिंग अप कार्य पौधरोपण काल के प्रारम्भ में ही कर लिया जाय;

(3)- असामान्य परिस्थितियों यथा अग्नि, बाढ़, सूखा एवं महामारी से वृक्षारोपण असफल होने की दशा में निर्धारित सीमा तक अनुमन्य बीटिंग अप से अधिक क्षतिपूर्ति रोपण कार्य किए जाने के लिए प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निरीक्षणोपरान्त वन संरक्षक को लिखित प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही व्यय अनुमन्य होगा। बाढ़ अथवा सूखा जैसी आपदा जिलाधिकारी द्वारा घोषित विज्ञप्ति के आधार पर मान्य होगी।

वृक्षारोपण सफलता प्रतिशत -

(1)- वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित करने के लिए सरलीकरण की दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए ब्लाक वृक्षारोपण की न्यूनतम सफलता मानक तालिका-2 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। पटरी वृक्षारोपण के लिए भी मानक यही होगा परन्तु ट्री गार्ड में रोपित पौधों की सफलता लगभग 100% होगी।

वृक्षारोपण की आयु के आगणन के लिए रोपण समयावधि 31 जुलाई से 30 जून तक मानी जाएगी। प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में पड़ने वाले वन प्रभागों का विवरण तालिका-3 में दिया गया है। किसी वन प्रभाग में एक से अधिक क्षेत्र पड़ने पर कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा।

रोपण दूरी एवं पौध संख्या

(1)- विभिन्न प्रजातियों के रोपण में पौधों के आपस की दूरी तथा प्रति हेक्टेयर पौध संख्या तालिका-4 के अनुरूप होगी।

छ्रान एवं पौधशाला क्षति

(1)- वृक्षारोपण की गुणवत्ता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से पौधशाला क्षति (पिन्डी बनाना, जड़ कटी करना, शिफ्टिंग व ग्रेडिंग करना) अधिकतम 2% तथा छ्रान क्षति अधिकतम 3% अनुमन्य होगी।

कलिंग अनुमन्यता

(1)- कलिंग की अनुमन्यता सिर्फ चयनित प्रजातियों में अधिकतम 20% होगी। कलिंग का यह कार्य उन्हीं चयनित प्रजातियों के पौधों में किया जाएगा जिनके बीज का स्रोत बीज उत्पादन क्षेत्र (एस.पी.ए.) तथा अभ्यर्थी धनात्मक वृक्ष (सी.पी.टी.) होगा। क्लोनल एवं प्लस ट्री के बीज से तैयार पौधों के लिए कलिंग अनुमन्य नहीं होगा।

(2)- कलिंग का कार्य सहायक वन संरक्षक की उपस्थिति में किया जाएगा एवं उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अपने उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करने पर ही व्यय अनुमन्य होगा।

थैली क्षति अनुमन्यता

(1)- पौधशाला में मिट्टी भरान के समय होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि थैली अच्छी गुणवत्ता एवं उचित गेज की हो। मिट्टी भरान के समय थैली क्षति की अनुमन्यता अधिकतम 3% होगी।

प्रमाणिक बीज प्रयोग

(1)- प्रदेश में उच्च गुणवत्ता की पौध तैयार करने का निर्णय स्तर [illegible] लिया गया है। इसके लिए अनुसंधान इकाई द्वारा आपूर्ति किए गए प्रमाणिक बीजों/क्लोनल पौधों का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रमाणिक बीजों अथवा क्लोनल पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान इकाई को केन्द्रीय रूप से [illegible]यान मुख्य वन संरक्षक, नियोजन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

....4/-

उपर्युक्त मानकों का निर्धारण अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिकों एवं वरिष्ठ वनाधिकारियों के अनुभवों के अनुरूप में किया गया है। तथापि अनुसंधान पर आधारित भिन्न परिणाम प्राप्त होने की दशा में इन मानकों का पुनर्निर्धारण समय-समय पर किया जा सकेगा।

संलग्नक-तालिका परिशिष्ट।

भवदीय,
ह0/-
(कंवल लाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-554(1)/चौदह-5-2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(डा० ई० ओझा)
विशेष कार्याधिकारी।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-प-1961/36-5 :दिनांक: लखनऊ: अगस्त 26, 2003:

प्रतिलिपि मय संलग्नक सहित समस्त उप वन संरक्षक, समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-यथोपरि।

(जे०एस० प्रसाद)
वन संरक्षक(मुख्यालय), उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

554/29-1 दि० 23-8-2003

आर.के/5.8.

प्रतिलिपि- समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सा० वा० वन प्रभाग मथुरा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। [illegible] ... उ0प्र0 हेतु प्रेषित।

[illegible]

प्रभागीय

तालिका परिशिष्ट

तालिका 1 : विभिन्न प्रजातियों के लिए पौध रोपण ऊँचाई

क्र०सं०	प्रजाति	रोपण के समय न्यूनतम ऊँचाई (मीटर में)		
		वन क्षेत्र	पहाड़ी	मैदानी
1.	शीशम	1·0	1·5	1·5
2.	सिरस	1·0	1·5	1·5
3.	आम	1·0	1·5	1·5
4.	जामुन	1·0	1·5	1·5
5.	अर्जुन	1·0	1·5	1·5
6.	कांजी	0·6	1·5	1·5
7.	गुलमोहर	—	1·5	1·5
8.	जैकेरेन्डा	—	1·5	1·5
9.	कचनार	—	0·6	0·6
10.	अमलतास	—	0·6	0·6
11.	सावनी	—	0·5	0·6
12.	बॉटलब्रश	—	0·7	0·7
13.	पेल्टोफोरम	—	0·6	0·6
14.	पीपल	1·0	1·5	1·5
15.	पाकड़	1·0	1·5	1·5
16.	बरगद	1·0	1·5	1·5
17.	गूलर	1·0	1·5	1·5
18.	प्रोसोपिस	0·45	—	—
19.	ल्यूकी ल्यूकोसी	0·45	—	—
20.	सागौन	0·40	—	—
21.	यूकेलिप्टस	0·6	1·0	—
22.	पोपलार	2·0	—	—
23.	खैर	0·35	—	—
24.	बबूल	0·45	—	—
25.	नीम	1·0	1·5	1·5
26.	बाँस	0·40	—	—
27.	कदम्ब	—	1·5	1·5

वर्ष	पश्चिमी गंगीय क्षेत्र		पूर्वी गंगीय क्षेत्र		तराई क्षेत्र x		विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	
	क्षतिपूर्ति रहित	10% क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति रहित	10% क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति रहित	10% क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति रहित	10% क्षतिपूर्ति
0	95	95	95	95	95	95	95	95
1	79	83	90	99	91	100	75	84
2	68	75	83	91	83	91	69	77
3	59	65	76	83	75	82	64	71
4	51	56	70	76	68	74	60	66
5	46	50	65	70	60	65	56	61
6	42	45	61	65	53	57	53	57
7	40	42	57	60	46	49	50	53
8	40	42	54	56	40	42	49	51
9	40	42	52	53	34	35	47	49
10	40	42	51	52	28	29	47	48

x तराई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाकर इसकी सफलता प्रतिशत 3 से 10 वर्षों के लिए पूर्वी गंगीय क्षेत्र के समतुल्य किया जाय।

तालिका 3 : विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपद

कृषि जलवायु क्षेत्र	जनपदों के नाम
पश्चिमी मैदान	सहारनपुर (आंशिक), मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर (आंशिक), गाजियाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, मुरादाबाद (आंशिक), रामपुर (आंशिक), बरेली (आंशिक), शाहजहाँपुर (आंशिक), लखीमपुर-खीरी (आंशिक), बदायूँ, एटा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई (आंशिक)
पूर्वी मैदान	देवरिया (आंशिक), बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर (आंशिक), अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, गोण्डा (आंशिक), बहराइच (आंशिक), लखनऊ, उन्नाव, कानपुरनगर, कानपुर देहात (आंशिक), औरैया (आंशिक), हरदोई (आंशिक), सीतापुर (आंशिक)
तराई	सहारनपुर (आंशिक), बिजनौर (आंशिक), मुरादाबाद (आंशिक), रामपुर (आंशिक), बरेली (आंशिक), पीलीभीत, शाहजहाँपुर (आंशिक), लखीमपुर-खीरी (आंशिक), सीतापुर (आंशिक), बहराइच (आंशिक), श्रावस्ती, गोण्डा (आंशिक), बलरामपुर, बस्ती (आंशिक), संतकबीरनगर (आंशिक), गोरखपुर (आंशिक), देवरिया (आंशिक), सिद्धार्थनगर, महराजगंज, पडरौना।
विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड	सोनभद्र, चन्दौली, वाराणसी, मिर्जापुर, संतरविदास नगर, इलाहाबाद (आंशिक), बाँदा, चित्रकूट, कौशाम्बी (आंशिक), फतेहपुर (आंशिक), महोबा, हमीरपुर, कानपुर देहात (आंशिक), औरैया (आंशिक), जालौन, झाँसी, ललितपुर।

तालिका-4 : वृक्षारोपण में विभिन्न प्रजातियों की अन्तराल में रोपण

दूरी एवं पौध संख्या

क्र०सं०	प्रजाति	वृक्षारोपण विधि	रोपण दूरी (मी०)	संख्या प्रति हे०
1.	सागौन	शुद्ध रोपण	3×3	1100
		ट्रैक्टर विधि से	3×5	665
		मेड़ों पर/पंक्ति में	3	—
2.	शीशम	अन्य प्रजातियों के साथ रोपण	6×6	277
3.	युकेलिप्टस	उपजाऊ भूमि पर	2×2	2500
		कम उपजाऊ भूमि	2×2.5	2000
		ट्रैक्टर विधि से	2×5	1000
		पटरी/पंक्ति में	2	—
4.	पोपलर	ट्रैक्टर विधि से कृषि वानिकी	4×5	500
		कृषि वानिकी से भिन्न	4×4	625
5.	सिरस/खैर	शुद्ध रोपण	3×3	1110
6.	बबूल/प्रोसोपिस	सामान्य	2×2.5	2000
7.	नीम	सामान्य	6×6	277
8.	मिश्रित प्रजातियाँ	हरड़, बहेड़ा, महुआ, चिरौंजी, सेमल बरगद, पीपल, पाकड़, इमली एवं कुसुम	9×9	123
		नीम, जामुन, आँवला, बेल, कैथा एवं शीशम	6×6	277
		अर्जुन, ढाक, बकैनी एवं अमलताश	3×3	1110
9.	बाँस	शुद्ध रोपण	6×6	277
		मेड़ों पर/पंक्ति में	6	—
10.	पटरी प्रजातियाँ	बरगद, पाकड़, पीपल, आम, महुआ, इमली, नीम, इत्यादि	10	—
		कचनार, हरसिंगार, सावनी, कनेर, केशिया नोडोसा, बोगनविलिया, बॉटलब्रश इत्यादि	3	—
		गुलमोहर, जकरेन्डा, अमलताश, केशिया सियामिया, पेल्टाफोरम इत्यादि	6×6	277

ह0/-

(हरि मो०प्र०)

विशेष कार्याधिकारी।

प्रेषक,

संख्या–2404 / 14–5–2015–123 / 2015

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव,

1– आवास विभाग
2– लघु उद्योग विभाग
3– खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
4– हथकरघा उद्योग विभाग
5– भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग
6– ऊर्जा विभाग
7– उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
8– कृषि विभाग
9– भूमि विकास एवं जलसंसाधन विभाग
10– ग्राम्य विकास विभाग
11– पंचायती राज विभाग
12– पशुधन विभाग
13– दुग्ध विकास विभाग
14– मत्स्य विकास विभाग
15– सहकारिता विभाग
16– गन्ना विकास विभाग
17– नगर विकास विभाग
18– पर्यावरण विभाग
19– राजस्व विभाग
20– लोक निर्माण विभाग
21– सिंचाई विभाग
22– रेशम विकास विभाग

वन अनुभाग–5

लखनऊ दिनांक 20 अक्टूबर, 2015

विषयः– विभिन्न भूमि उपयोग वाले विभागों के आयोजनगत बजट के 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यों के लिए आवंटित कर उपयोग करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2332 / 14–प0भू0वि0 / 2001, दिनांक 26–11–2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2001–02 हेतु विभिन्न भूमि उपयोग वाले विभागों को आयोजनागत बजट में से 0.5 प्रतिशत धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराने तथा शासनादेश संख्या– 973 / 14–प0भू0वि0 / 2001, दिनांक 18–06–2001 के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को वृक्षारोपण के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शहरीकरण आदि से निरन्तर वन भूमि में कमी आ रही है जिसके दृष्टिगत सघन वृक्षारोपण की आवश्यकता है। वृक्षारोपण कार्य एक मौसम आधारित कार्य है जो एक निश्चित अवधि में ही सम्पादित किया जाता है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2001–02 के प्राविधान आगामी वर्षो के बजट से धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश निर्गत न होने के कारण वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है जिससे वृक्षारोपण का कार्य प्रभावित हो रहा है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित विभाग अपने आयोजनागत पक्ष में प्राप्त/आवंटित बजट का 0.5 प्रतिशत धनराशि वानिकी कार्यो हेतु स्वयं व्यय करें अथवा वन विभाग को उपलब्ध करा दें। विभाग उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से वन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या–2464(1)/14–5–2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

705/अनु-1-2022

(14)

वृक्षारोपण जन आन्दोलन 2022 के सफल सम्पादन हेतु दिनाँक 24, 25 तथा 26 मई 2022 को मा0 वन मंत्री एवं अन्य मा0 मंत्रीगण द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रदेश में वृक्षारोपण जन आन्दोलन 2022 के सफल क्रियान्वयन हेतु मा0 मंत्री कृषि, मा0 मंत्री उच्च शिक्षा, मा0 मंत्री उद्यान, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मा0 राज्य मंत्री पर्यावरण, वन, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

वृक्षारोपण जन आन्दोलन 2022 से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार हुआ तथा निम्न निर्देश दिये गये :-

545931/PSH/22
DS(AKD)/अनु-1

1– **ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, राजस्व विभाग, रेशम तथा पशुपालन विभाग :–**

- वृक्षारोपण में सामुदायिक व व्यक्तिगत भूमि पर मनरेगा से वृक्षारोपण किया जाए। नवीन/पुरानी परती भूमि, बंजर भूमि, चारागाह, नदी किनारे की भूमि, ग्रामीण सड़कों के किनारे आदि स्थलों पर रोपण को प्राथमिकता दी जाए।
- मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण की सुरक्षा, सिंचाई एवं समुचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

(विनोद शर्मा)
निजी सचिव
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
09-06-2022

(कार्यवाही – ग्राम्य विकास विभाग)

- पंचायत भवन, ब्लाक पंचायत व जिला पंचायत की परिसम्पत्तियों के परिसर में रिक्त पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाए जिसमें समस्त पंचायत अधिकारियों व कर्मचारियों से कम से कम 10 पौधों का रोपण अनिवार्य रूप से कराया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा व रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए। जिला पंचायत के नियंत्रणाधीन समस्त पंचायत सड़कों को वृक्षारोपण से संतृप्त किया जाए।

(कार्यवाही – पंचायती राज विभाग)

- वृक्षारोपण हेतु रिक्त सार्वजनिक भूमि का विवरण लेखपाल द्वारा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जाए। तहसील, कानूनगो व लेखपाल के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न किया जाय तथा रोपित पौधों की सुरक्षा व रख–रखाव का दायित्व सम्बन्धित को सौंपा जाए। तहसील प्रागंण जिनमें बाउण्ड्री है उनमें प्राथमिकता से रोपण किया जाए।

(कार्यवाही – राजस्व विभाग)

- विभाग के समस्त चारागाह फार्म में चारा प्रजातियों के वृक्षारोपण करते हेतु सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए तथा समस्त गौ–शाला स्थलों के बाउण्ड्री के अन्दर चारा एवं छायादार प्रजाति के पौधे प्राथमिकता के आधार पर रोपित कर सुरक्षा व रख–रखाव सुनिश्चित किये जाए।

(कार्यवाही – पशुपालन विभाग)

- रेशम विभाग लक्ष्य के अनुरूप पौधों का उगान व रोपण कराते हुए वृक्षारोपण का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही – रेशम विभाग)

10/6

6– <u>उद्योग एवं औद्योगिक विकास विभाग :–</u>

- विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त औद्योगिक ईकाईयों, औद्योगिक विकास क्षेत्रों तथा विभागीय परिसरों में रिक्त भूमि पर अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण कराते हुए उनकी सुरक्षा व रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए, जहां सम्भव हो हरीतिमा बढ़ाने हेतु मियावाकी (Miyawaki) वृक्षारोपण पद्धति अपनाया जाए।
- उद्योगों के सी0एस0आर0 फण्ड (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) से वृक्षारोपण कार्य कराया जाए।
- पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले औद्योगिक संस्थानों द्वारा सी0ई0आर0 (कारपोरेट इन्वायरनमेन्टल रिसपोन्सविलिटी) के अन्तर्गत पौधों का रोपण एवं उनका रख–रखाव कराया जाए।

7– <u>नगर विकास, आवास विकास, उद्यान तथा खनन विभाग :–</u>

- शहरी क्षेत्र में उपलब्ध आवासीय, अनावासीय परिसर, पार्क व अन्य रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाए एवं पौधों की सुरक्षा व रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की जाए। विभिन्न आवासीय, अनावासीय भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति में पौधरोपण एक अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित किया जाए। शहरों में वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण हेतु घने **मियावाकी वन** तथा **नगर वन** की स्थापना की जाए।

(कार्यवाही नगर विकास विभाग)

- आवासीय कॉलोनियों के आस–पास रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाए एवं पौधों की सुरक्षा व रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की जाए। भवन निर्माण में यथा सम्भव पहले से स्थापित वृक्षों का कटान नहीं किया जाए तथा अपरिहार्य स्थिति में वृक्षों का ट्रान्सलोकेशन कराया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में 75 स्थलों पर मियावाकी पद्धति से रोपण कराया जाए।

(कार्यवाही आवास विकास विभाग)

- उद्यान विभाग लक्ष्य के अनुरूप पौधों का उगान व रोपण कराते हुए वृक्षारोपण का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही उद्यान विभाग)

- खनन स्थल पर Eco-restoration हेतु वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाए। जिलों में उपलब्ध मिनरल डेवलेपमेंट फण्ड से वृक्षारोपण हेतु न्यूनतम 15 से 20 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिलाधिकारी से सम्पर्क कर विभिन्न जनपदों के ग्राम पंचायतों में स्थापित कम से कम 10 अमृत वनों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही खनन विभाग)

8– <u>लोक निर्माण, जल शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सहकारिता, श्रम तथा परिवहन विभाग :–</u>

- ग्रामीण सड़कों के किनारे Low cost tree guards के साथ वृक्षारोपण प्राथमिकता पर करायी जाए। राष्ट्रीय राज्य मार्ग व अन्य मार्गों के निर्माण व अनुरक्षण के प्राकलन में वृक्षारोपण सम्बन्धी व्यय एक अनिवार्य मद के रूप में सम्मिलित किया जाए।

(कार्यवाही लोक निर्माण विभाग)

- नहर किनारे तथा जल शक्ति विभाग के अधीन परिसम्पत्तियों के परिसर में रिक्त पड़ी भूमि को वृक्षारोपण से संतृप्त किया जाए तथा सुरक्षा व रख–रखाव की समुचित व्यवस्था की जाए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 नहरों का चयन कर उनके किनारे विशिष्ट वृक्षारोपण कराया जाए।

(कार्यवाही जल शक्ति विभाग)

- पौधारोपण उपरान्त रोपित पौधों की सूचना सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारियों/प्रभागीय वनाधिकारियो को उपलब्ध करायी जाए।

विभागों से विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न अपेक्षा की गयी–

1. आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सभी शहीद स्थलों, उनके सम्पर्क मार्गों के किनारे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विशिष्ट स्थलों यथा– काकोरी, चौरी–चौरा आदि तथा प्रदेश के समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के पैत्रिक गांव को चिहिन्त कर उन्हें वृक्षारोपण से संतृप्त किया जाए।
2. वृक्षारोपण स्थल के चयन में उन समस्त परिसरों को वरीयता दी जाय, जिसमें बाउन्ड्रीवॉल हो अथवा घेरबाड़ किया हुआ हो।
3. वृक्षारोपण में पीपल, पाकड़ बरगद, नीम, इमली,जामुन, बेल, अर्जुन, सहजन, आम, महुआ, हरड, बहेड़ा, आंवला आदि प्रजातियों सहित छायादार/फलदार/औषधि एवं पर्यावरणीय महत्व की प्रजातियों को प्रमुखता से शामिल किया जाए।
4. समस्त विभागों के स्वामित्व में रिक्त पड़ी भूमि पर अधिक से अधिक पौधों का रोपण कराया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु वित्तीय व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
5. रोपित किये गये समस्त पौधरोपण स्थलों की जियोटेगिंग की जाए।
6. सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि वृक्षारोपण सम्बन्धी उपरोक्त समस्त निर्देश विभाग के अगली पंक्ति के कर्मचारियों तक प्रसारित किया जाए।
7. समस्त विभागीय परियोजनाओं में वृक्षारोपण तथा उसका अनुरक्षण कार्य परियोजना के अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित किया जाए।
8. वृक्षारोपण का व्यापक प्रचार–प्रसार कर जन समान्य में जागरूकता फैलायी जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–5
संख्या–210/81–5–2022
लखनऊ, दिनांक 03 जून, 2022

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव– ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, राजस्व, कृषि, उद्यान, रेशम, पशुपालन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उद्योग, औधोगिक विकास, आवास विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, जल शक्ति, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सहकारिता, श्रम, गृह, परिवहन एवं खनन विभाग, उ0प्र0, शासन।
2– एयर ऑफिसर कमाण्डींग–इन–चीफ, सेन्ट्रल एयर कमाण्ड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।
3– जनरल ऑफिसर कमाण्डींग–इन–चीफ, सेन्ट्रल कमाण्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

3– रक्षा जी0ओ0सी0 सेन्ट्रल कमाण्ड, लखनऊ/प्रभारी अधिकारी, भारतीय वायु सेना स्टेशन– बक्शी का तालाब, लखनऊ, चकेरी कानपुर, गोरखपुर, आगरा, हिण्डन गाजियाबाद, सरसावा सहारनपुर तथा बमरौली प्रयागराज।

4– रेल क्षेत्रीय महाप्रबन्धक रेलवे, उत्तर पूर्वी, उत्तर, उत्तर मध्य जोन तथा मण्डलीय प्रबन्धक रेलवे, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, इज्जतनगर बरेली, वाराणसी, डी0एल0डब्लू वाराणसी, प्रयागराज, आगरा एवं झांसी मण्डल।

5– समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।

6– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

7– सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।8

8– कार्यकारी निदेशक (Executive Director), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), लखनऊ/उप महाप्रबन्धक, (Deputy General Manager, HR), एन0टी0पी0सी0 (NTPC NRHQ), लखनऊ/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), एक्सेसरीज् कॉम्पलेक्स (Accessories Complex), एच0ए0एल0 (HAL), लखनऊ/ कार्यकारी निदेशक (Executive Director), एन0यू0पी0पी0एल0 (NUPPL), (Joint Venture of NLC India Ltd. & UP Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.), लखनऊ/निदेशक, एन0सी0सी0 निदेशालय (NCC Directorate), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

704|आ6-1-2022

(18)

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–216(2)/81–5–2022
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बापू भवन, प्रथम तल, उ0प्र0 सचिवालय,
विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

75 Azadi Ka Amrit Mahotsav

लखनऊः दिनॉक 31 मई, 2022

आदरणीय महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव आवास

वृहद वृक्षारोपण प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। वर्ष 2022–23 में प्रदेश में 35 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 14 करोड़ तथा अन्य राजकीय विभागों के सहयोग से 21 करोड़ पौधा रोपण किया जाना है।

आपसे अनुरोध है कि मंडल व जनपदों में वर्षाकाल 2022 में कराये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारी की भी समीक्षा करने की कृपा करें। कृपया अपने स्तर से यह भी निर्देशित करें कि दिनांक 01 जुलाई से 15 अगस्त तक की अवधि में वृक्षारोपण तथा प्रत्येक ग्राम सभा में 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 वृक्ष अवश्य लगाया जाना सुनिश्चित करें।

(एस॰पी॰ गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन

DS(AKD) / SO-1

कृपया मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अपने प्रदेश को हरा–भरा बनाने एवं कृषकों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रदेश सरकार के उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम को सकुशल सम्पन्न कराने में सहयोगी व सहभागी बन कर इस अभियान को सफल बनाने की कृपा करें।

8/6/22
07-06-22
(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

5452/PSH/22

सद्भावना सहित,

भवदीय,

(के0पी0 मलिक)
राज्य मंत्री।

भवदीय,

(डॉ0 अरूण कुमार)
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।

NON - I.G.R.S.

श्री निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री
मा0 कैबिनेट मंत्री,
आवास विभाग।
उत्तर प्रदेश सरकार।

प्राप्त सी० एम०-1
अन्य
03 JUN 2022

8.6.2022

8/6/2022